न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 105/2017

प्रार्थी　　　　　　बनाम　　　　　　विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी　　　　　　रतनाराम व अन्य

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 रा. भू. राज.एक्ट 1956

उपस्थिति–

1. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 से 5 (अपीलांट)

–: निर्णयः–

दिनांक–04.06.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सिणधरी द्वारा राजस्व ग्राम **डांगवा** पटवार मण्डल **पायला खुर्द** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु [illegible] की सुनवाई के भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने [illegible] विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 [illegible] 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के [illegible]/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत प्रस्तावित भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:08:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

निर्णय दिनांक 15.07.2017 के जरिये गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज करते हुए तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु निर्देशित किया कि निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रखते हुए नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

विप्रार्थीगण रतनाराम द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में दायर अपील सं 78/2022 रतनाराम बनाम सरकार में बाद सुनवाई अपने पारित निर्णय दिनांक 04.09.2023 के जरिये निर्देशित किया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को प्रतिप्रेषित कर कि खसरा संख्या 33 में चल रहे रास्ते का राजस्व रेकर्ड में अंकन करने बाबत आदेश पारित किये जाने पूर्व इस खसरे के खातेदारों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए यथोचित निर्णय पारित करे।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना में रिमाण्ड प्रकरण पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने हेतु पैरोकार सरकार को निर्देशित किया गया।

विप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री जोगराज पोटलिया तथा पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस के कथनों में उल्लेखित किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य एकतरफा है, कि पटवारी पायलां खुर्द के द्वारा उक्त रास्ता को मात्र खसरा संख्या 33 के प्रस्तावित कर दी गई है, जिसके सम्बन्ध में पटवारी के द्वारा कोई मौका रिपोर्ट मौतबिरान के रुबरु नही बनाई गयी है। इसके सम्बन्ध में माननीय तहसीलदार महोदय सिणधरी के द्वारा गलत रुप से प्रकरण बना कर पेश किया गया है। तथा पत्रावली में आदेश भी गलत आधारों पर पारित हुआ है। खसरा संख्या 33 के समानान्तर ही सीमांत ग्राम अमरपुरा के खसरा संख्या 62 में आधा रास्ता तथा आधा रास्ता खसरा संख्या 33 में दिये जाने हेतु मौके पर सहमति बनी थी, तथा उसी अनुसारद मौके पर रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार हमारे खेत के हिस्से से जो रकबा काटा गया है उसको दुरूस्त करते हुए मौका कब्जा अनुसार कदीमी रास्ता व सार्वजनिक मार्ग व बारहमासी मार्ग की ध[illegible]ते हुए संशोधित आदेश फरमावें।

विप्रार्थीगण की बहस के सन्दर्भ में प्रार्थी के पैरोकार [illegible] में अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि पूर्व में [illegible]न जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप 12()(1)राजस्व/2016/7205–40 दिनांक 10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:08:35 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व ग्राम **डांगवा** पटवार मण्डल **पायला खुर्द** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात् न्यायालय हाजा द्वारा प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चलायमान बारहमासी रास्ता आमजन की भौतिक सुखाचार हेतु उपयोग में आने पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2017 सही होने से यथावत रखे जाने के आदेश पारित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2023 में पारित तथ्यों पर पाया गया कि उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई के प्रस्तावित कदीमी रास्ता जो कि मौके पर सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में नहीं आने से उसे निरस्त किये जाने के तथ्यों के साथ ही नये सिरे से पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार के तौर पर कायम करते हुए तद्नुसार पुनः संशोधित निर्णय पारित किये जाने से पूर्व मौके पर विद्यमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नये पुनः विधिवत रूप से गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने की दशा में वर्तमान में पारित आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विवेचन अनुसार रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मोखिक अभिकथनों तथा पैरोकार सरकार की दलीलों को ध्यान में रखते हुए गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज प्रविष्टि को राजस्व रेकर्ड से निरस्त करते हुए पुनः सम्बधित पक्षकारान की खातेदारी में बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार सिणधरी को निर्देशित किया जाता है कि वे यदि वर्तमान स्थिति अनुसार यदि नये सिरे से आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए चलायमान रास्ते के रूप में पृथक से प्रकरण नियमानुसार तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.10.03 12:08:35 IST
Reason: SelfAttested